ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 96)

[5 सितम्बर, 1976]

ऐसे माल के उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो देश की आवश्यकताओं के लिए महत्व के हैं, मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, रेल वैगनों, पुलों और भारी कर्मशाला भवनों के लिए संरचनात्मक इस्पात संकर्मों, यंत्र दाबित इस्पात टैंकों, क्रेनों, रोड रोलरों, जूट धुनाई मशीनों, रोलफार्मरों, पावर स्वीपरों, धूसर लौह ढुलाई और इस्पात फोर्जनों के विनिर्माण और उत्पादन में लगी हुई थी और बड़े आकार के जटिल पुर्जों की मशीनिंग में भी लगी हुई थी ;

और कम्पनी को भारी नुकसान होने के फलस्वरूप कम्पनी के स्वामित्व के अधीन के कुछ संकर्म बन्द हो गए थे ;

और कम्पनी के बन्द संकर्मों को शीघ्र चालू करने के प्रयोजन से कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन सीमित अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और ऐसे माल के उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए जो देश की आवश्यकता के लिए महत्व के हैं यह आवश्यक है कि कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन किया जाए ;

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 है ।

(2) इस अधिनियम की धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और शेष उपबन्ध 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 1975 के अप्रैल का प्रथम दिन अभिप्रेत है ;

(ख) कम्पनी से ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 5, हाइड रोड, कलकत्ता 700043 में है ;

(ग) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यादेश" से ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1976 अभिप्रेत है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(ज) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण

3. कम्पनी के उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण—नियत दिन को कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कम्पनी का अधिकार, हक और हित इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कम्पनी के उपक्रमों के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर हैं, रोकड़ बाकी, हाथ-नकदी, आरक्षित निधि, विनिधान तथा बही-ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पूर्व कम्पनी के कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर थे और सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और उससे सम्बन्धी अन्य सभी दस्तावेजें भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

(2) पूर्वोक्त सभी सम्पत्ति, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर किसी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उसको प्रभावित करने वाले अन्य सभी विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करने वाली किसी न्यायालय की किसी कुर्की, व्यादेश या डिक्री या आदेश या ऐसी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग की बाबत किसी प्रापक की नियुक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (2) में निदिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकमों में से और धारा 8 के अधीन अवधारित धनों में से भी बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) यदि नियत दिन को, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित कोई वाद, की गई कोई अपील या किसी भी अन्य प्रकार की कार्यवाही, लम्बित है तो उसका कम्पनी के उपक्रमों के अन्तरण या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या किसी भी प्रकार उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कम्पनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने का निदेश दिया गया है, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कम्पनी का प्रत्येक दायित्व कम्पनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां उपक्रमों को धारा 6 के अधीन, किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने निदेश दिया गया है, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा या जहां कम्पनी के उपक्रम को धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश दिया गया है, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न किसी मामले, दावे या विवाद के बारे में, नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा या जहां धारा 6 के अधीन कम्पनी के उपक्रम को किसी सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश दिया गया है, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) कम्पनी द्वारा, उस समय प्रवृत्त विधि के किसी ऐसे उपबन्ध के उल्लंघन के लिए जो नियत दिन के पूर्व किए गए हों, उपगत कोई दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा या जहां धारा 6 के अधीन कम्पनी के उपक्रम को सरकारी कम्पनी में निहित किए जाने का निदेश दिया गया है, वहां उस सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों को सरकारी कंपनी में निहित करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कंपनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का,

जिन्हें अधिरोपित करना केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या अनुपालन कर लिया है, तो वह अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कम्पनी के उपक्रम और कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके अधिकार, हक और हित, केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय या तो अधिसूचना की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख न हो) जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं, वहां वह सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से, उस सरकारी कंपनी के क्रमशः अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकम का संदाय

7. रकम का संदाय—धारा 3 के अधीन कंपनी के उपक्रमों का और कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में अन्तरित और उसमें निहित होने के लिए कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा सोलह करोड़, पच्चीस लाख रुपए की रकम नकद रूप में और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से दी जाएगी ।

8. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) कंपनी को उसके उपक्रमों के प्रबंध से वंचित किए जाने के लिए कम्पनी को केन्द्रीय सरकार द्वारा पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली, जिसको कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था और नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, दी जाएगी ।

(2) धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के उपबन्धों के भूतलक्षी प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार कंपनी को पचास हजार रुपए प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम के बराबर रकम नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद रूप में देगी ।

(3) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम पर और उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अवधारित रकम पर, प्रति वर्ष चार प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम कम्पनी को उस रकम के अतिरिक्त दी जाएगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट है ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसके ऐसे दायित्वों का उन्मोचन, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, धारा 7 में निर्दिष्ट रकम से किया जाएगा और कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम से भी किया जाएगा ।

अध्याय 4

कम्पनी के उपक्रमों का प्रबन्ध आदि

9. कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध आदि—(1) कम्पनी के उपक्रमों के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियन्त्रण और प्रबन्ध किसी ऐसी कम्पनी के उपक्रमों के, जिनके सम्बन्ध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं :—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया गया है, वहां उस निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा ; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है वहां उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा जिन शक्तियों का प्रयोग करने और जिन कार्यों के करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है ।

(2) केन्द्रीय सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को या सरकारी कम्पनी को कम्पनी के ऐसे उपक्रमों का अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी जिनके सम्बन्ध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है ।

10. कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों आदि का परिदान करने का कर्तव्य—(1) कंपनी के उपक्रमों के प्रबन्ध के किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो जाने पर या अभिरक्षक की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसे निहित होने पर या

ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले ऐसी कंपनी के उपक्रमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को ऐसी कम्पनी के उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियां, लेखाबहियां, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज, जो उनकी अभिरक्षा में हैं, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे और सरकारी कम्पनी या अभिरक्षक भी, यदि वह चाहे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में, जिससे कम्पनी के उपक्रमों का प्रबंध उसके द्वारा संचालित किया जाए या किसी ऐसे विषय के बारे में जो ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकता है ।

(3) अभिरक्षक को कम्पनी के उपक्रमों की निधियों में से उतना पारिश्रमिक प्राप्त होगा जितना केन्द्रीय सरकार नियत करे और वह केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

11. लेखे और लेखापरीक्षा—कम्पनी के उपक्रमों का अभिरक्षक कम्पनी के उपक्रमों का लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रखेगा, जो विहित की जाएं, और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्ध इस प्रकार रखे गए लेखा को लेखापरीक्षा को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं ।

अध्याय 4

कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

12. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का चालू रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार है और नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है, नियत दिन से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी का, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उसके उपक्रमों के संबंध में कम्पनी के अधिकार, हक और हित निहित हो गए हैं, कर्मचारी हो जाएगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के अधीन पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे अनुज्ञेय होते यदि ऐसी कम्पनी के सम्बन्ध में अधिकार निहित नहीं होते और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और उसकी सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अर्थ में कर्मकार नहीं है और जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी के किसी उपक्रम में नियोजित रहा है, नियत दिन से केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन और उपदान और अन्य बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद या अपनी सेवा धारण करेगा, जैसा कि वह उस कम्पनी के उपक्रमों के अधीन धारण करता यदि कम्पनी के उपक्रम केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अंतरित और उसमें निहित नहीं होते और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक, नियोजन के निबन्धन और शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कंपनी के किसी उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां, सेवा की किसी संविदा के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाती हैं, वेतन या मजदूरी के किन्हीं बकाया का या न ली गई किसी छुट्टी के लिए किसी संदाय का या किसी अन्य संदाय का, जो उपदान या पेंशन के रूप में संदाय नहीं है, हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति अपना दावा कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता है, किन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी के विरुद्ध नहीं करा सकता है ।

13. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने कम्पनी के उपक्रमों में से किसी में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की है, वहां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी, कल्याण या अन्य निधि के खाते में नियत दिन को जमा धनराशयियों में से वे धनराशियां जो उन अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अन्तरित हो गई हैं, संबंधित हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाने वाली धनराशियों के सम्बन्ध में उस सरकार या उस सरकारी कम्पनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्य व्यक्तियों को आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे, और तब आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक को इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा और विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में से का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रदत्त की गई हैं, न कि प्राधिकरण के तौर पर ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर, कम्पनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को उतनी रकम नकद रूप में देगी जो—

(क) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर हो, और

(ख) धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकम के बराबर हो ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को दी गई प्रत्येक रकम उसके द्वारा उक्त निक्षेप खाते में जमा की जाएगी और उसके पश्चात् आयुक्त उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर लगने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए होगा ।

16. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया, कंपनी को शोध्य कोई धन, जो कम्पनी के उन उपक्रमों के सम्बन्ध में हो जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कंपनी के किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए उसके द्वारा नियत दिन के पश्चात् किया गया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा किया गया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कंपनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, उस कंपनी के दायित्व होंगे ।

17. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर के अन्दर, आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावे को ग्रहण कर सकेगा, किन्तु इसके पश्चात् नहीं ।

18. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उत्पन्न होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी और इस प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रवर्ग VI के सिवाय, प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे, एक समान होंगे और उनके लिए पूर्ण रूप से संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णतः चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे समान अनुपात में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार उनके लिए संदाय किया जाएगा ;

(ग) प्रवर्ग VI में विनिर्दिष्ट दायित्वों का उन्मोचन इस धारा में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अधीन रहते हुए, प्रतिभूत ऋणों के निबन्धनों और ऐसे ऋणों की परस्पर पूर्विकता के अनुसार किया जाएगा ; और

(घ) निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब इसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

19. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 17 के अधीन किए गए दावों के प्राप्त होने पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकता के अनुसार दावों को क्रमबद्ध करेगा और उक्त पूर्विकता के क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि, दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग के दावों की बाबत परीक्षा करे ।

20. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश के अनुसार दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त ऐसी कोई निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा उसे आयुक्त द्वारा किए गए संवितरण के फायदे से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल होगा, आयुक्त द्वारा किए गए संवितरणों से अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक है और कम्पनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदारों को लिखित रूप में सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् दावे को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन में उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई भी दावेदार जो आयुक्त के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, उस विनिश्चय के विरुद्ध आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायायल में अपील कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां ऐसी अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय में की जाएगी और ऐसी अपील की सुनवाई और निपटारा उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा ।

21. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी धनराशि शोध्य है और ऐसे संदाय किए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कम्पनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

22. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कम्पनी के उपक्रमों के संबंध में उसको संदत्त धन में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दायित्वों के उन्मोचन के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त उस अतिशेष का संवितरण ऐसी कम्पनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी में, निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या सम्पत्ति ऐसी कम्पनी की नहीं है, वहां ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर कब्जा रखे रहना विधिपूर्ण होगा जिन पर कम्पनी 1975 के अप्रैल के प्रथम दिन के ठीक पूर्व उन पर कब्जा रखती थी ।

23. असंवितरित या अदावाकृत रकमों का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस अन्तिम दिन से जिसको संवितरण किया गया था, तीन वर्ष की अवधि तक असंवितरित या अदावाकृत रह गया है, आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किया जाएगा । किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और इस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय लिए आदेश, यदि कोई हो, तो उसे राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में, इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

25. संविदाओं का तब तक प्रभावी न होना जब तक कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा अनुसमर्थन न कर दिया जाए—(1) कम्पनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए कम्पनी द्वारा की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख को या से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उस अवधि की समाप्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता है और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करते समय ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप नहीं करेगी और संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तर तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्व की गई है या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के हितों के लिए अहितकर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप नहीं करेगी और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर उस संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं करेगी और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतर करने के कारणों को लेखबद्ध किए बिना, नहीं करेगी ।

26. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी के या अभिरक्षक के या सरकारी कंपनी के या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उसके किसी अधिकारी के या अन्य कर्मचारियों या सरकारी कम्पनी के या उस कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली, धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति से भिन्न, सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

28. शास्तियां—कोई व्यक्ति जो,—

(क) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप ऐसी सम्पत्ति जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से उस संपत्ति को, सदोष विधारित रखेगा, या

(ख) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष अपने पास रखेगा या ऐसे उपक्रम से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा अथवा कम्पनी के उपक्रम से सम्बन्धित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा, या

(ग) कम्पनी के किसी उपक्रम की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या है या बिल्कुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

29. कम्पनी द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना रोकने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति और मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या किन्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन अभिरक्षक धारा 11 द्वारा अपेक्षित लेखे रखेगा ;

(ग) वह रीति जिससे धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के धन का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

32. राज्य की नीति के बारे में घोषणा—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में उल्लिखित तत्त्वों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "राज्य" का वही अर्थ है जो उसका संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।

33. निरसन और व्यावृत्ति—(1) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का अध्यादेश संख्याक 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

[धारा 18, धारा 19 और धारा 20 देखिए]

कम्पनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकताओं का क्रम

भाग 'क'

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि

प्रवर्ग I

कम्पनी के कर्मचारियों की मजदूरियां, वेतन और अन्य देय रकम।

प्रवर्ग II

(क) (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण ;

(ii) बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रतिभूत ऋण।

प्रवर्ग III

(क) कोई अन्य ऋण।

(ख) कम्पनी द्वारा कोई व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं के प्रयोजनार्थ लिया गया उधार।

प्रवर्ग IV

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य देय रकम।

भाग 'ख'

प्रबन्ध-ग्रहण के पूर्व की अवधि

प्रवर्ग V

कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, वेतन और मजदूरी और कर्मचारियों को अन्य देय रकमों के किए जाने वाले अभिदायों के संबंध में बकाया।

प्रवर्ग VI

प्रतिभूत ऋण।

प्रवर्ग VII

केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य विद्युत बोर्ड की राजस्व, कर, उपकर, रेट या कोई अन्य देय रकम।

प्रवर्ग VIII

(क) कंपनी द्वारा व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई उधार ;

(ख) कोई अन्य देय रकम।